आरक्षण पर विवाद

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

लेखक- फैजान मुस्तफा (कुलपति, NALSAR विधि विश्वविद्यालय, हैदराबाद)

09 जनवरी, 2019

"मोदी सरकार के इस कदम पर सबसे संभावित संभावना यह है कि शीर्ष अदालत द्वारा विधेयक की संवैधानिकता पर अंतिम निर्णय दिया जाएगा।"

नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में अपनी पारी की शुरुआत एक संवैधानिक संशोधन के साथ की थी जिसमें इनकी सरकार ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन शीर्ष अदालत ने 2016 में इसे असंवैधानिक करार दिया था क्योंकि संशोधन ने न्यायिक नियुक्तियों में भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय की प्रधानता को कम कर दिया था, जिसे न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का हिस्सा बताया था।

अब, सरकार एक और बड़े संवैधानिक संशोधन के साथ अपना कार्यकाल समाप्त कर रही है, जिसकी संभावना को शीर्ष अदालत द्वारा कम कर दिया गया है। अजीब बात यह है कि, सरकार ने न्यायिक नियुक्तियों में योग्यता पर अत्यधिक जोर दिया था, जो अब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की लगभग 95 प्रतिशत आबादी के साथ आरक्षण 59 प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा, एक निजी क्षेत्र के लिए सरकार ने प्रस्तावित कोटा को निजी शिक्षण संस्थानों तक भी बढ़ाया है, हालांकि अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ मामले (2008) में शीर्ष अदालत ने इस प्रश्न को अनुत्तरित ही छोड़ दिया था।

मोदी सरकार की कई अन्य योजनाओं की तरह ही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव न तो उपन्यास है और न ही परिवर्तनात्मक है। पी. वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इसी तरह के आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन इंद्रा साहनी (1992) मामले में नौ न्यायाधीशों वाली पीठ ने इसे खारिज कर दिया था।

कई राज्यों में भी इस तरह के प्रयास किये जा चुके हैं, जैसे केरल में (2008) कुछ पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए लेफ्ट सरकार द्वारा किया गया प्रयास, राजस्थान में कांग्रेस सरकार (2008) द्वारा किया गया प्रयास और गुजरात में भाजपा शासन (2016) के दौरान किया गया प्रयास। यहां तक कि मायावती भी इस तरह के आरक्षण के पक्ष में हैं और सरकार के इस कदम का स्वागत किया है।

एक पार्टी के रूप में भाजपा आरक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय की एक महान सेवक नहीं रही है। दरअसल, 2015 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण नीति की समीक्षा का आह्वान किया था। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक गिरावट का अनुमान लगाते हुए, भाजपा ने भागवत की टिप्पणी को खारिज कर दिया। इसी तरह, सरकार ने विश्वविद्यालय को आरक्षण की इकाई के रूप में विभाग की जगह लेने के लिए शीर्ष अदालत के निर्देश को लागू किया, एक ऐसा निर्णय जिसने विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में भारी कमी कर दी। इसी तरह, सरकारी वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एससी/एसटी अधिनियम का प्रभावी ढंग से बचाव नहीं किया और इसके दुरुपयोग को लगभग स्वीकार कर लिया, जिससे यह अधिनियम कमजोर पड़ गया।

ऐतिहासिक रूप से, अधिकांश आरक्षण योजनाओं की घोषणा आम या विधानसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर की जाती है। राजनीतिक नेतृत्व भारतीय मतदाताओं को बेवकूफ समझता है और यह भूल जाता है कि अतीत में, ऐसे लोकलुभावन कदमों ने चुनावी लाभांश का भुगतान नहीं किया था। 1989 में शाह बानो के फैसले को पलटने और बाबरी मस्जिद के ताले खोलने के बावजूद राजीव गांधी जीत नहीं पाए थे। समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर और वी. पी. सिंह भी अपनी आरक्षण नीतियों के लिए जनता से अपेक्षित समर्थन पाने में असफल रहे हैं।

किसी भी स्थिति में, मोदी सरकार के कदम की वैधता संदिग्ध है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि केवल आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण, जो ऐतिहासिक भेदभाव के सबूत के बिना है, संविधान में कोई औचित्य नहीं पाता है।
इंदिरा साहनी मामले में नौ न्यायाधीशों वाली पीठ ने फैसला सुनाया था कि आरक्षण ऐतिहासिक भेदभाव और इसके निरंतर दुष्प्रभावों का बस एक उपाय है। न्यायालय ने यह भी कहा था कि आरक्षण का उद्देश्य आर्थिक उत्थान या गरीबी उन्मूलन नहीं है। सामाजिक पिछड़ेपन के कारण आर्थिक पिछड़ापन है।

अनुच्छेद 16 (1) के तहत वर्णित पिछड़ेपन में पिछड़ापन होना चाहिए जो राज्य प्रशासन में गैर-प्रतिनिधित्व का कारण और परिणाम दोनों है। इसमें कुछ व्यक्तियों का नहीं, बल्कि पूरे वर्ग का पिछड़ापन होना चाहिए। इस प्रकार, आर्थिक मानदंड संविधान से अनुच्छेद 16 (4) के आभासी विलोपन के लिए प्रभावी होगा। इसलिए, अनुच्छेद 16 (4) के तहत सामाजिक पिछड़ेपन के कारण आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए।

इसके अलावा, यह पहल आरक्षण पर शीर्ष अदालत द्वारा लगाये गये 50 प्रतिशत की कैप को स्थानांतरित करता है। इंद्रा साहनी मामले में जस्टिस थोमेन ने कहा था कि इसके प्रतिपूरक पहलू पर अधिक बल देने का कोई भी प्रयास और पदों के अल्पसंख्यक से परे आरक्षण के दायरे को व्यापक बनाना, अत्यधिक और अनैतिक रिवर्स भेदभाव का अभ्यास करना है।"

बी.आर. अंबेडकर ने 30 नवंबर, 1948 को संविधान सभा में अपने भाषण में, स्पष्ट रूप से कहा था कि अवसर की समानता के लिए आवश्यक होगा कि आरक्षण सीटों के अल्पसंख्यक के लिए और केवल पिछड़े वर्गों के पक्ष में होना चाहिए जिनके पास राज्य में अब तक प्रतिनिधित्व नहीं था।

इस प्रकार, केवल पिछड़े वर्ग और सभी कमजोर वर्गों के लिए, आरक्षण के हकदार नहीं हैं। जाति और वर्ग पर्यायवाची नहीं हैं। वर्ग जाति के लिए विरोधी नहीं है, जाति एक संलग्न वर्ग है। अम्बेडकर, पहले संशोधन के समय, जिसने अनुच्छेद 15 में खंड 4 डाला था, ने संसद को बताया कि पिछड़े वर्ग कुछ और नहीं बल्कि जातियों का एक संग्रह है। यहाँ वर्ग सामाजिक वर्ग है। इस प्रकार, आर्थिक पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ेपन का परिणाम होना चाहिए।

मामले में संवैधानिक संशोधन मूल संरचना सिद्धांत के अधीन होगा। मूल संरचना की कोई परिभाषा नहीं है और प्रत्येक मामले में, अदालत ही यह तय करती है कि संविधान की कौन-कौन सी विशेषताएं मूल संरचना का गठन करती हैं। मोदी सरकार को उम्मीद है कि चूंकि बुनियादी ढांचे का हिस्सा होने के समानता के अधिकार के बारे में कुछ विवाद है, इसलिए यह न्यायिक जांच पास कर सकता है।

इंदिरा गांधी (1975) मामले में न्यायमूर्ति के. के. मैथ्यू ने अनुच्छेद 14 को मूल संरचना के हिस्से के रूप में स्वीकार नहीं किया था क्योंकि समानता एक एकल परिभाषा के लिए बहु-रंगीन अवधारणा है। इसके अलावा, सरकार यह तर्क दे सकती है कि आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े को भी शामिल करके समानता के आदर्शों को विस्तृत करेगा।

लेकिन एक सिद्धांत के रूप में समानता मूल संरचना का हिस्सा है और मूल संरचना के रूप में प्रस्तावना में स्थिति और अवसर की समानता के साथ, न्यायालय आरक्षण के लिए आर्थिक मानदंड के लिए सहमत हो सकता है। सबसे संभावित संभावना यह है कि मोदी सरकार के इस कदम पर शीर्ष अदालत द्वारा विधेयक की संवैधानिकता पर अंतिम निर्णय दिया जाएगा।

GS World टीम...

आरक्षण

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्र सरकार ने 07 जनवरी, 2019 को महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों (सामान्य वर्ग) के लिए सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है।
- केंद्र सरकार इसके लिए जल्द ही लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी।

संविधान में होगा संशोधन

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में संवैधानिक संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- सरकार इस संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक-2018 (कांस्टीट्यूशन एमेंडमेंट बिल टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन -2018) लोकसभा में लेकर आएगी। इस विधेयक के जरिए संविधान की धारा 15 व 16 में संशोधन किया जाएगा।
- सवर्णों को दिया जाने वाला आरक्षण मौजूदा 50 फीसदी आरक्षण से अलग होगा।

आरक्षण की पात्रता के लोग सामान्य श्रेणी के वे लोग होंगे -

- जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपये से कम हो
- जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम की खेती की जमीन हो
- जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो
- जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो
- जिनके पास 209 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो
- जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते थे

अनुच्छेद 15 के प्रावधान

- अनुच्छेद 15 समस्त नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 (1) के अनुसार राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ही अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) में सामाजिक और शैक्षिणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। यहां कहीं भी आर्थिक शब्द का प्रयोग नहीं है।
- ऐसे में सवर्णों को आरक्षण देने के लिए सरकार को इस अनुच्छेद में आर्थिक रूप से कमजोर शब्द जोड़ने की जरूरत पड़ेगी।

अनुच्छेद-16 के प्रावधान

- अनुच्छेद-16 सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है और राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है।
- किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उनके लाभार्थ सकारात्मक कार्रवाई के उपायों के कार्यान्वयन हेतु अपवाद बनाए जाते हैं, साथ ही किसी धार्मिक संस्थान के एक पद को उस धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जाता है।

भारत में आरक्षण का उद्देश्य और वर्तमान स्थिति

- आरक्षण की व्यवस्था केंद्र और राज्य में सरकारी नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं, चुनाव और शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई ताकि समाज के हर वर्ग को आगे आने का मौका मिले।
- इसके लिए पिछड़े वर्गों को तीन श्रेणियों - अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में बांटा गया।
- इस समय भारत में कुल 49.5% आरक्षण दिया जा रहा है जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:
- अनुसूचित जाति (SC):15%
- अनुसूचित जनजाति (ST): 7.5%

- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 27%
- कुल आरक्षण: 49.5 %

किन्हें मिलेगा फायदा?

- केंद्र सरकार द्वारा सवर्णों को दिए जाने वाले 10% आरक्षण का लाभ केवल हिन्दू सवर्णों को ही नहीं मिलेगा अपितु सभी धर्मों अथवा सम्प्रदायों के सामान्य वर्ग के उन लोगों को मिलेगा जो इस श्रेणी की पात्रता शर्तों का मानदंड रखते हों।
- यह आरक्षण धर्म, जाति, रंग अथवा किसी अन्य प्रकार के भेदभाव के आधार पर नहीं दिया गया है।

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 मामला

- इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम केंद्र सरकार (यूनियन ऑफ इंडिया) में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अलग से आरक्षण लागू करने को सही ठहराया था।
- वर्ष 1992 में पहली बार इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण सही नहीं है।
- संसद ने इस पर विचार किया और 77वां संविधान संशोधन लाया गया। इस संशोधन में कहा गया कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को यह अधिकार है कि वह पदोन्नति में भी आरक्षण दे सकती है। यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां से फैसला आया कि आरक्षण दिया जा सकता है लेकिन वरिष्ठता नहीं मिलेगी।
- इसके उपरांत 85वां संविधान संशोधन उसी संसद से पास हुआ और यह कहा गया कि कॉनसीक्वैंशियल सीनियॉरिटी भी दी जायेगी।
- इन्दिरा साहनी प्रकरण में उच्चतम न्यायालय की जजों वाली संविधानिक पीठ ने दिनांक 16.11.1992 को संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राजकीय सेंवाओं में पदोन्नति में आरक्षण को सही नहीं माना तथा यह आदेश दिया कि इन वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण केवल अगले 5 वर्ष तक ही यथावत रखा जाएगा।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अनुच्छेद-16 राज्य को समान अवसर के संबंध में किसी के भी विरुद्ध केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है।
2. अनुच्छेद-16(4) में सामाजिक और शैक्षिणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गयी है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

2. निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा पदोन्नति में आरक्षण की गयी है?

(a) 77वां संविधान संशोधन
(b) 87वां संविधान संशोधन
(c) 42वां संविधान संशोधन
(d) 61वां संविधान संशोधन

1. Consider the following statements-

1. Article-16 prohibits the government on discrimination of any person on the ground of only religion, race, caste, sex, ethinicity, birthplace or any of them.
2. Article-16(4) special provisions have been provided for the socially and educationally backword classes or scheduled castes or scheduled tribes.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

2. By which of the following constitutional Amendment the system of reservations in the promotion has been provided?

(a) 77th Constitutional Amendment.
(b) 87th Constitutional Amendment.
(c) 42nd Constitutional Amendment.
(d) 61st Constitutional Amendment.

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: भारत में आरक्षण का प्रावधान किन आधारों पर किया गया है? इसके उद्देश्यों को बताते हुए, वर्तमान समय में आरक्षण की स्थिति के सन्दर्भ चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. The provision of reservations in India are provided on what basis? Discussing its objectives also discuss the present situation of reservations. (250 Words)

नोट : 08 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a), 2(c) होगा।